(55)

समक्ष मान्नीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्र. ~~3173/2018~~ निगरानी-3173/2018/जबलपुर/भू.25

विषय :– आदिम जनजाति सदस्य को भूमि विक्रय करने की अनुमति प्रदान करने बावत्।

पक्षकार/आवेदक – श्री राजेन्द्र प्रसाद कुलस्ते उम्र 45 वर्ष पिता श्री चेतराम कुलस्ते जाति गौड़ (आदिवासी) निवासी– समाधि रोड, ग्राम पिपरिया खुर्द, तहसील व जिला जबलपुर

श्री .... द्वारा आज दि. 25/5/18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 28-5-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 25-5-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

अनावेदक – श्री शिवम उपाध्याय उम्र 25 वर्ष, पिता श्री पवन उपाध्याय (गैर आदिवासी), निवासी– संजीवनी नगर, दुर्गा चौक, तहसील व जिला जबलपुर

अपील अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत् प्रस्तुत की जा रही है

1. मान्नीय न्यायालय कलेक्टर जबलपुर के प्रकरण क्र. 35/अ–21/2017–18 में पारित आदेश दि. 11/05/2018 (Annexure-1) से व्यथित होकर धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत् यह अपील प्रस्तुत की जा रही है।

2. यह कि आवेदक अपीलकर्ता आदिवासी श्री राजेन्द्र प्रसाद कुलस्ते उम्र 45 वर्ष पिता श्री चेतराम कुलस्ते जाति गौड़ (आदिवासी) निवासी– समाधि रोड, ग्राम पिपरिया खुर्द, तहसील व जिला जबलपुर द्वारा

NOTARY JABALPUR (M.P.)

22 MAY 2018

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निगरानी/3173/2018/जबलपुर/भू0रा0

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29-5-18	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी कलेक्टर, जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 35/अ-21/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 11-5-18 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेशों एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया । यह प्रकरण आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है जिसमें उनके द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम पिपरिया खुर्द प0ह0नं0 67 रा0नि0मं0 खम्रिया तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं0 34/2 रकबा 0.766 हैक्टर को गैर आदिवासी अनावेदक को विक्रय किए जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है । उक्त आवेदन कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया। अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त आवेदन तहसीलदार को जांच हेतु भेजा । तहसीलदार ने जांच कर अपना प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रेषित किया गया। तदुपरांत कलेक्टर ने आदेश दिनांक 11-5-18 द्वारा आवेदक का भूमि विक्रय की अनुमति हेतु प्रस्तुत आवेदन निरस्त किया । कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है । अभिलेख को देखने से स्पष्ट होता है कि	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	कलेक्टर ने द्वारा यह मानते हुए कि प्रश्नाधीन आवेदित भूमि आवेदक द्वारा वर्ष 2017 में ही क्रय की जाकर वर्ष 2017 में ही गैर-आदिवासी को विक्रय का अनुबंध किया है जो संदेहास्पद है और बेनामी अंतरण की श्रेणी में आता है, आवेदक का आवेदन निरस्त किया है, जिसकी पुष्टि अपर आयुक्त ने की है । आवेदक की ओर से भूमि विक्रय हेतु दिए गए तर्कों को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को अनदेखा किया गया है कि आवेदित भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है बल्कि आवेदक द्वारा क्रय की गई भूमि है । भूमि क्रय करने के उपरांत भूमि का विक्रय तुरंत नहीं किया जा सकता है, इस प्रकार का कोई प्रावधान संहिता में नहीं है । चूंकि आवेदक आदिम जनजाति का सदस्य है, इस कारण उसके द्वारा भूमि विक्रय करने की अनुमति मांगी गई है । राजस्व अधिकारियों के प्रतिवेदन अनुसार आवेदक के पास 3.200 हैक्टर भूमि शेष है जिस पर आवेदक वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है । आवेदक द्वारा भूमि विक्रय के जो कारण बताए गए हैं उन्हें देखते हुए तथा आवेदक अधिवक्ता द्वारा दिए गए इस तर्क को ध्यान में रखते हुए कि उसके साथ कोई छलकपट नहीं हो रहा है बल्कि क्रेता द्वारा उसे कलेक्टर गाइड लाइन से अधिक मूल्य दिया जा रहा है, आवेदक को उसके भूमिस्वामित्व की आवेदित भूमि को विक्रय करने की अनुमति दिए जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन प्रतीत नहीं होती है । अत: प्रकरण की समग्र स्थिति पर विचार के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुए आवेदक को उसके स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम पिपरिया खुर्द प0ह0नं0 67 रा0नि0मं0 खम्रिया तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं0 34/2	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निगरानी/3137/2018/जबलपुर/भू0रा0

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	रकबा 0.766 हैक्टर को गैर आदिवासी/अनावेदक को विक्रय किए जाने की अनुमति इस शर्त के साथ दी जाती है कि क्रेता द्वारा वर्तमान वर्ष की गाइड लाइन से भूमि का मूल्य अदा किया जायेगा । उप पंजीयक को निर्देशित किया जाता है कि वे सुनिश्चित करें कि क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) बैंकर चेक/बैंक ड्राफट/नेट बैंकिंग से अपीलार्थीगण के खाते में जमा की जायेगी । परिणामत: अपील स्वीकार की जाती है । पक्षकार सूचित हों । (एम. गोपाल रेड्डी) प्रशा0 सदस्य	